न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **97/2020**
GCMSNo.- : **2020/00216**

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.)
2. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
3. बनवारीलाल पुत्र रतनलाल, जाति नायक, निवासी कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)।

बनाम

1. कालू पुत्र हिम्मता जाति नायक, निवासी केशरपुरा रास तहसील जैतारण, जिला पाली।
2. कालू पुत्र गुणिया जाति नायक, निवासी केशरपुरा, रासतहसील जैतारण, जिला पाली।
3. कानाराम पुत्र गुलाबचन्द जाति भाम्बी, निवासी कुमावतो का मोहल्ला गोविन्दगढ़ तहसील पिसांगन, जिला अजमेर।
4. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् घोषणा, बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.07/10/2020**

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 23/06/2021**

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3115 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही दोयम की आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादीगण 55/72 हिस्से यानि 16 बीघा 08 बिस्वा 09 बिस्वांसी भूमिपर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है मगर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जायेगा। वर्तमान जमाबन्दीसम्वत 2073 से 2076व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीगण को हर समय उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 55/72 हिस्से यानि 16 बीघा 08 बिस्वा 09 बिस्वांसी हिस्से की भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादीगण का अलग सें कब्जा व काश्त है वादीगण ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी भूमि अनुसार वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने हेतु तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 07/08/2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही है, वादीगण अपनी हक हिस्से की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने के अधिकारी है। इसलिए यह दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकासमा आराजी वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पर्डेगें जिससे मल्टीप्लीसीटी आफ प्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। विनय दावा दिनांक 07/08/2020 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमिका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करनेएवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम रास द्वितीय (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 व 02 बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से वकालत नामा पेश किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 03 जवाब दावा पेश नहीं करना चाहते और जाहिर किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या 03 का भी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा आदेश फरमावें। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय सम्वत् 2073–2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 3115 रकबा 21–10 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 3115 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/1198 दिनांक 29/12/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/1260 दिनांक 03/06/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जा[illegible] समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय [illegible] नक्शा आदि [illegible] डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सर[illegible] मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 3115 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही दोयम भूमि में वादीगण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किस्म	लगान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम रेगर सा.अम्बडेकर कोलोनी ,राजमहल होटल के पीछे ब्यावर जिला-अजमेर खातेदार हि. 12/328,चम्पालाल पुत्र गुलाराम कौम मेगवाल सा.बाडसा,तहसील मारवाड. जक्शन जिला- पाली हि. 18/328,बनवारीलाल पुत्र रतनलाल जाति-नायक सा.कोहिनूर मार्बल के पीछे गणेश कोलोनी ,देलवाड.ा रोड. ब्यावर ,जिला -अजमेर हि.298/328।	3115	16-08	चाही दोयम	45.10
2	कालु पुत्र हिमता कौम नायक सा. केसरपुरा हि.2/17,कानाराम पुत्र गुलाबचन्द कौम- भाम्बी सा.कुमावतो का मौहल्ला गोविन्दगढ तहसील पीसांगन जिला-अजमेर हि.12/17,कालू पुत्र गुणीया कौम नायक सा.केसरपुरा हि.3/17 खातेदार।	3115/1	5-02	चाही दोयम	14.03

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/06/2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:31:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

वादीगण:

1. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.)
2. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
3. बनवारीलाल पुत्र रतनलाल, जाति नायक, निवासी कोहिनूर मार्बल के पीछे, गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)।

प्रतिवादीगण:

1. कालू पुत्र हिम्मता जाति नायक, निवासी केशरपुरा रास तहसील जैतारण, जिला पाली।
2. कालू पुत्र गुणिया जाति नायक, निवासी केशरपुरा, रासतहसील जैतारण, जिला पाली।
3. कानाराम पुत्र गुलाबचन्द जाति भाम्बी, निवासी कुमावतो का मोहल्ला गोविन्दगढ़ तहसील पिसांगन, जिला अजमेर।
4. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु0न0 :रा0वा0 स0: 97/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 3115 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही दोयम भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा स्वा	किस्म	लगान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम रेगर सा.अम्बडेकर कोलोनी ,राजमहल होटल के पीछे ब्यावर जिला–अजमेर खातेदार हि. 12/328,चम्पालाल पुत्र गुलाराम कौम मेगवाल सा.बाडसा,तहसील मारवाड. जक्शन जिला– पाली हि. 18/328,बनवारीलाल पुत्र रतनलाल जाति–नायक सा.कोहिनूर मार्बल के पीछे	3115	6-08	[illegible]	3.10

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

	गणेश कोलोनी ,देलवाड.ा रोड. ब्यावर ,जिला –अजमेर हि.298/328।				
2	कालु पुत्र हिमता कौम नायक सा. केसरपुरा हि.2/17,कानाराम पुत्र गुलाबचन्द कौम– भाम्बी सा.कुमावतो का मौहल्ला गोविन्दगढ तहसील पीसांगन जिला–अजमेर हि.12/17,कालू पुत्र गुणीया कौम नायक सा.केसरपुरा हि.3/17 खातेदार।	3115/1	5–02	चाही दोयम	14.03

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/06/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	01–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	02–00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	05–00	मिजानः–	01–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:15 IST
Reason: SelfAttested